उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, बोकारो।

सरफेसी वाद सं0–75/2019–20

ICICI BANK LTD, REGIONAL OFFICE, RANCHI

बनाम्

RAHUL DWIVEDI

–: आदेश :–

20.02.2021

प्राधिकृत पदाधिकारी, ICICI BANK LTD. Regional Office, 3rd Floor, Amrawati Complex, Lalpur, Circular Road, Ranchi-834001 द्वारा धारा 14 (1 and 2) OF THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSESTS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT 2002 (SARFAESI) के तहत विपक्षी Rahul Dwivedi s/o Rabindra Kumar Dwivedi At- House No. 110, Jodhadihmore, चास, बोकारो के विरूद्ध बैंक में गिरवी रखे गए सम्पत्ति/भूमि पर दखल–कब्जा प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र दाखिल किया गया है।

फलस्वरूप उक्त एक्ट के तहत कार्रवाई प्रारंभ करते हुए उभय पक्षों को अपना–अपना पक्ष रखने के लिए सूचित किया गया।

प्रथम पक्ष ICICI BANK LTD. Regional Office, 3rd Floor, Amrawati Complex, Lalpur, Circular Road, Ranchi 834001 की ओर से प्राधिकृत पदाधिकारी के द्वारा दाखिल आवेदन पत्र में उल्लेख किया गया है कि विपक्षी ने अपनी सम्पत्ति (FLAT No. 403, 4TH FLOOR, REICHTUM'S ROYAL, PLOT No. 1118, KHATA No. 28, P.S. No. 30, CHIRA CHAS BOKARO, Ward No. 7 CHAS MUNICIPAL CORPORATION, BOKARO. Admeasuring an area of Total area 1011 sq.ft., Car parking 111 sq.ft.) को गिरवी रखते हुए बैंक से रूपये 33,10,000 (तैंतिस लाख दस हजार) ऋण लिया गया था जिसे अब तक उनके द्वारा नहीं चुकाया गया है। ऋण की वापसी हेतु बैंक के द्वारा SARFAESI ACT–2002 के विभिन्न धाराओं के तहत नियमानुसार कार्रवाई के वावजुद भी विपक्षी की ओर से बकाया राशि की वापसी की दिशा में कोई पहल नहीं किया गया है। फलस्वरूप SARFAESI ACT–2002 की धारा–14 (1 & 2) के तहत विपक्षी की सम्पत्ति पर दखल–कब्जा प्राप्त करने में शांति व्यवस्था भंग नहीं हो इसके लिए उनके द्वारा पुलिस बल की माँग की गई है।

द्वितीय पक्ष को नोटिस तामिला हेतु भेजा गया था किन्तु तामिलकर्त्ता के द्वारा सूचित किया गया कि दिए गये पते पर काफी खोज बिन किया परन्तु इस नाम पता के व्यक्ति के बारे में कुछ पता नहीं चला। अतः बिना तामिला के वापस किया गया। फलस्वरूप विपक्षी को समाचार पत्र के

माध्यम से नोटिस करते हुए सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि को उपस्थित होने का निदेश दिया गया। उसके बाद भी विपक्षी सुनवाई के दौरान पुकार पर अनुपस्थित पाये गये। उनके द्वारा अपने बचाव में किसी भी प्रकार का कारण–पृच्छा भी दाखिल नहीं किया गया है।

वर्णित परिस्थिति में प्रथम पक्ष के द्वारा दाखिल आवेदन एवं उसके साथ संलग्न कागजातों के आधार पर SARFAESI ACT–2002 की धारा 14(1 एवं 2) निहित प्रावधानों के तहत प्राधिकृत पदाधिकारी, ICICI BANK LTD. Regional Office, 3rd Floor, Amrawati Complex, Lalpur, Circular Road, Ranchi-834001 द्वारा किए गए अनुरोध पर प्रश्नगत सम्पति/भूमि पर दखल–कब्जा प्राप्त करने के क्रम में शांति भंग न हो इसके लिए विधि–व्यवस्था संधारण हेतु पुलिस अधीक्षक, बोकारो एवं अनुमण्डल पदाधिकारी, चास आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगें।

तदनुसार संबंधित को सूचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी
बोकारो।

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी
बोकारो।

Digitally signed by VIJAYA NARAYANRAO JADHAV
Date: 2025.01.25 17:03:52 +05:30
Location: 192.168.1.102